राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – राजपाल यादव, आर.ए.एस.

<u>प्रार्थना पत्र सं.</u> 24/2014

श्योपाल दत्तक पुत्र गंगु जाति माली निवासी अजीतपुरा तहसील खेतड़ी

.... प्रार्थी

<u>ब–ना–म</u>

1. घीलाराम पुत्र भूराराम
2. भानाराम पुत्र भूराराम जाति माली निवासी अजीतपुरा तहसील खेतड़ी।

.... अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र– अस्थाई निषेधाज्ञा</u>

<u>उपस्थित अधिवक्ता</u> :–

1. श्री गिरधारी लाल सैनी– प्रार्थी की ओर से
2. श्री हवासिंह बबेरवाल – अप्रार्थीगण की ओर से

:: निर्णय :: दिनांक 17–04–2021

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम अजीतपुरा तहसील खेतड़ी स्थित आराजी खाता सं. 55 जमाबंदी संवत् 2069–2072 खसरा नंबर 4 रकबा 0.91 है., ख.नं. 5 रकबा 0.07 है. किता 2 कुल रकबा 0.98 है. का प्रार्थी एकांकी खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है एवं अपनी भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। अप्रार्थीगण का उक्त वर्णित भूमि से कोई संबंध सरोकार नहीं है, अप्रार्थीगण स्ट्रेंजर है। अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करने की फिराक में है। इसलिए प्रार्थी ने तहसीलदार, खेतड़ी को सीमाज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 30.10.2013 को पटवारी हल्का ने विवादित भूमि 0.98 है. का सीमाज्ञान करवाकर सीमा चिन्ह् कायम किये। अप्रार्थीगण लड़ाकू झगड़ालू प्रवृति के है वे प्रार्थी की भूमि ख.नं. 5 रकबा 0.07 है. की दक्षिणी पश्चिमी भूमि को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। अप्रार्थीगण के इस कृत्य से प्रार्थी के विधिक अधिकारों का हनन होगा उसे ऐसी क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा में नहीं किया जा सकेगा। प्रार्थी का यह प्रथम दृष्टया मामला है व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पावन्द किया जावे कि वे दौराने वाद वर्णित भूमि वाके ग्राम अजीतपुरा स्थित खसरा नंबर 5 रकबा 0.07 है. जो प्रार्थी की खातेदारी की है में न घुसे व उक्त भूमि के दक्षिणी पश्चिमी भाग में या अन्य किसी भाग में प्रार्थी के [illegible] में कोई बाधा, दख्लंदाजी ना करें, खुर्द बुर्द ना करें व उक्त भूमि में खड़े पेड़ो [illegible] को ना काटे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर [illegible] अप्रार्थीगण को तलबी की गई। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि भूमि खसरा [illegible] 5 रकबा 0.07 है. प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्र[illegible] का कभी भी इस खसरा [illegible] पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2021.04.30 16:43:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनू)

Scanned with CamScanner

कब्जा नहीं रहा है ना ही वर्तमान में ही कब्जा काश्त है यह खसरा नंबर 5 रकबा 0.07 है. कभी भी काश्त की भूमि नहीं रही है बल्कि कदीमी सैंकड़ो वर्षों से ग्राम अजीतपुरा निवासियों के एवं अन्य आम जनता के लिए आने जाने के रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग में लेते रहे हैं। वर्तमान में भी रास्ता चालू है। उक्त रास्ते से ग्राम अजीतपुरा से ग्राम करमाड़ी को आते जाते हैं। श्मशान भूमि व मंदिर में जाते है, बच्चे सरकारी स्कूल में आते–जाते हैं जिसका कोई वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है ना ही बनाया जाना संभव ही है। नक्शा ट्रेस में भी सैटलमेंट ने इस खसरा नंबर को रास्तानुमा ही दिखाया गया है लेकिन जमाबंदी में रास्ता दर्ज नहीं किया गया। उक्त रास्ते का दावा बाबत सुखाधिकार घोषणा उनवान सांवताराम वगैरहा बनाम श्योपाल वगैरहा सिविल न्यायालय, खेतड़ी में विचाराधीन है। सिविल न्यायाधीश, खेतड़ी से उक्त रास्ता की भूमि पर स्थगन आदेश हो चुका है जो वर्तमान में प्रभावी है। अतः निवेदन है कि जनहित में दावा विचारण अधीन सिविल न्यायालय, खेतड़ी में सुखाधिकार की कार्यवाही विचाराधीन होने की सूरत में यह प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि बाबत पक्षकारान के मध्य एक अन्य वाद मा0 सिविल न्यायालय, खेतड़ी में पूर्व से विचाराधीन है जिसमें अंतरिम आदेश पारित किया हुआ है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा पर निर्णय किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17–04–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2021.04.30 16:43:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner